# सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/153/2012 दर्ज दिनांकः—26.06.2012

1. बनवारी पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. महन्त पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थितः

राजेन्द्रसिंह प्राथी अभिभाषक

महाराजसिंह अप्राथी अभिभाषक

## निर्णय

दिनांकः—29.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मौरोलीकला पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नही किया है। इसलिए उन्हें साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर देने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया है। परन्तु इसके बाबजूद साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा दावा के कथनों के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है वह लोक दस्तावेजी की अप्रमाणित फोटो प्रतियां है जो साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। वादी द्वारा अपने दावे में यह स्वीकार किया है कि उनकी खातेदारी की आराजी से सरा हुआ हाल आ.ख.नं. 222/0.36 सिवायचक मकबूजा राज गै.मु. मन्दिर है। यदि आराजी सिवायचक मकबूजा राज है तो भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार मुकदमा बनाना आवश्यक है। हाल ख. नं. 222 पर बने मन्दिर में कौन सी मूर्ति स्थपित है न तो उसका उल्लेख किया गया है और नही मूर्ति के वाद मित्र को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है। वादी अपनेइस दावा की आड़ में मन्दिर की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से दावा वादी प्रमाणित नहीं है।

अतः आज्ञा है किः—

दावा वादी पोषनीय खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)
सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official